भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4281
दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

विधवा पुनर्विवाह के लाभार्थी

4281. **श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैयाः**

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विधवा पुनर्विवाह सहायता योजना की मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा क्या है;
(ख) इस योजना के अंतर्गत अब तक कितने लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;
(ग) क्या सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पुनर्विवाह हेतु सामाजिक जागरूकता पैदा करने और पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष अभियान चलाया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार का पुनर्विवाह के बाद लाभार्थियों को रोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने और सशक्तिकरण के अन्य उपाय करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार की वर्ष 2025 तक इस योजना का विस्तार करके इसे 5 लाख लाभार्थियों तक पहुंचाने की कोई विशेष योजना है;
(च) क्या सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत पुनर्विवाह करने वाले जोड़ों के बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई उपाय किए गए हैं; और
(छ) क्या सरकार का इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए गैर-सरकारी संगठनों और सामुदायिक समूहों के साथ कोई भागीदारी कार्यक्रम आरंभ करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (छ): विभिन्न राज्य सरकारों के पास विधवा पुनर्विवाह की योजनाएं हैं। लेकिन केन्द्र सरकार के स्तर पर ऐसी कोई योजना नहीं है।

तथापि, विधवाओं सहित महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा देश भर में अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इस संबंध में कुछ प्रमुख योजनाएं/कार्यक्रम निम्नानुसार हैं –

(i) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रभावी 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए मिशन शक्ति नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। मिशन शक्ति के अंतर्गत शक्ति सदन घटक निराश्रित महिलाओं और कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं को आश्रय, भोजन, व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित आवश्यक सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, मिशन शक्ति का सखी निवास घटक कामकाजी महिलाओं एवं रोजगार और उद्यमिता के लिए उच्च शिक्षा या प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं के लिए किफायती तथा सुरक्षित आवास प्रदान करता है।

(ii) बीमा कवरेज और पेंशन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), अटल पेंशन योजना (एपीवाई), प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई**) कार्यान्वित की गई हैं।

(iii) विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए कठिन परिश्रम को कम करने एवं जीवन की सुगमता को बढ़ाने के लिए, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत **11.6 करोड़ से अधिक शौचालयों** का निर्माण किया गया है, **10.3 करोड़ परिवारों** को उज्ज्वला योजना के माध्यम से **खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन** और जल जीवन मिशन के माध्यम से **लगभग 15 करोड़ घरों** में **स्वच्छ और पीने योग्य पानी के कनेक्शन** उपलब्ध कराए गए हैं।

(iv) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बेघर परिवारों और कच्चे एवं जीर्ण-शीर्ण मकानों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का मकान उपलब्ध कराने तथा शहरी क्षेत्रों में स्लम निवासियों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) की आवास

आवश्यकता को पूरा करने के माध्यम से सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है।

(v) **आयुष्मान भारत** के अंतर्गत सरकार 55 करोड़ से अधिक नागरिकों को 1200 से अधिक चिकित्सा पैकेजों के माध्यम से नि:शुल्क उपचार प्रदान कर रही है। इनमें से, 141 से अधिक चिकित्सा पैकेज विशेष रूप से महिलाओं की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इस योजना के तहत सात प्रकार की जांच (टीबी, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुंह का कैंसर, स्तन कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर और मोतियाबिंद) की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे करोड़ों महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में 150,000 से ज़्यादा स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी) हैं, जिन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी कहा जाता है, जो स्वास्थ्य सेवा को समुदाय तक पहुचाते हैं। **आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई)** दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्तपोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है, जिसमें गरीब और वंचित महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

(vi) देश भर में 13,000 से ज़्यादा **प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (पीएमबीजेके)** कार्य कर रहे हैं। पीएमबीजेके में महिला के लिए महिला विशिष्ट लगभग 40 से विशेष वस्तुओं सहित किफ़ायती दवाइयाँ और चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने के अलावा, 1 रुपये प्रति पैड की बेहद किफ़ायती कीमत पर 'सुविधा सैनिटरी नैपकिन' नाम से सैनिटरी नैपकिन बेचने का भी प्रावधान है।

(vii) **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) और प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना** के तहत महिलाओं को कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(viii) महिलाएं **प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएम-जेडीवाई**) के अंतर्गत भी सबसे बड़ी लाभार्थी हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहलों में से एक है, जो विभिन्न कल्याण योजनाओं, ऋण और बीमा सेवाओं के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ तक पहुंच भी प्रदान करती है।

(ix) **स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, स्टार्ट-अप इंडिया, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण**

रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना (सीजीएमएसई) जैसी योजनाएं रोजगार/स्वरोजगार एवं ऋण सुविधाएं प्रदान करती हैं। इन योजनाओं के तहत लाभार्थियों में से अधिकांश महिलाएं हैं।

*****